न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मूल वाद संख्या 174/2024

सिंडीकेट बैंक बनाम कुमारी सम्बुल यामीन और अन्य

दिनांकः 04-04-2025

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 35क

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 35क वादी द्वारा शपथपत्र कागज संख्या 36ग के साथ संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग के पेज 1 की लाइन 33 में फिगर 5 के स्थान पर 6 एवं उक्त नये पैरा 6 के बाद प्रतिवादी संख्या 2 मृतक हाफिज मौहम्मद यामीन के विधिक प्रतिनिधियों को जोड़ना चाहता है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 35क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 35क स्वीकार किया जाता है। वादी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 35क के प्रकाश में संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करें। संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग में संशोधन किये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 2 के विधिक प्रतिनिधियों को उभय प्रकार से नोटिस एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को उभय प्रकार से समन जारी हो। वादी इस निमित आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 05-05-2025 को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 32ग के निस्तारण हेतु पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2025.04.04 16:51:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court